D-4

Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences & Ayush University of Chhattisgarh
(Previous – Ayush & Health Sciences University of Chhattisgarh)
G. E. Road, Raipur (C.G.)
(Established by C.G. Act. No. 21/2008)
Ph./Fax : 0771-2263234
Website : www.cghealthuniv.com

APPLICATION FOR *REVALUATION* OF ANSWER BOOKS

CANDIDATE SHOULD GO THROUGH THE RULES CAREFULLY BEFORE FILLING UP THIS FORM. THIS APPLICATION FORM IS TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE CANDIDATE ONLY. APPLICATION SUBMITTED ON BEHALF OF THE CANDIDATE ON INCOMPLETE WILL BE REJECTED. THE FORM SHOULD BE DULY FORWARDED BY THE CONCERNED HEAD OF THE INSTITUTION.

Name of Examination :	
Roll No. :	

To,

The Registrar,
Pt. Deendayal Upadhyay Memo. Health Sciences & Ayush Uni. of Chhattisgarh,
G.E. Road, Raipur (C.G.)

Sir,

I request you to permit me to get my answer book(s) revalued in the applied subject / paper. The necessary particulars are as follow :

1.	Name of the Candidates (Block Letters)				
2.	Father's Name				
3.	Address for correspondence with pin code.				
4.	Enrollment No.				
5.	Name of the Exam. Centre		Date of Publication of Result		
6.	Roll No.				
7.	Paper(s) in which revaluation is desired (Maximum of Two Papers)	S.No.	Subject	Marks obtained	Out of

DECLARATION

1. I hereby declare that I have gone through the provisions of Revaluation as mentioned in Ordinance 2 and they shall be binding on me.
2. I hereby further declare that the result of the Revaluation shall be binding on me and I shall accept the revised marks of Revaluation and will not hold the University responsible for the same.

Signature of the Applicant

Signature of the head of the Institution

Tel. No.:

Mobile No.:

पुर्नमूल्यांकन आवेदन–पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश

(अध्यादेश क्रमांक 02 के प्रावधान के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के निर्णयानुसार)

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा पुर्नमूल्यांकन हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करें।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय के प्राचार्य/अधिष्ठाता के माध्यम से विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन इस पते पर भेजें–

   कुलसचिव,
   छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर 492010.

   लिफाफे पर पुर्नमूल्यांकन (Revaluation) अवश्य अंकित करें।
3. आवेदन पत्र सोच समझकर सही–सही भरा जावे। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. परीक्षार्थी पुर्नमूल्यांकन आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं। पुर्नमूल्यांकन शुल्क के साथ आवेदन पत्र की राशि रू.20/-- अतिरिक्त विश्वविद्यालय कार्यालय में नगद देय होगा।
5. परीक्षा परिणाम निर्गमन तिथि से पन्द्रह दिन के अवधि में पुर्नमूल्यांकन शुल्क रूपये 300/– प्रति प्रश्न–पत्र पर जमाकर पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
6. निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय में सीधे नगद जमा किया जा सकता है, अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. पुर्नमूल्यांकन हेतु अंकसूची की प्रतिलिपि (सत्यापित) लगाना अनिवार्य है।
8. समस्त संकाय के स्नातक परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र अधिकतम दो प्रश्न–पत्रों का पुर्नमूल्यांकन करवाने के पात्र होंगे, जिसमें viva, practical और internal / sesstional परीक्षा के प्राप्तांक को छोड़कर लिखित (Theory) परीक्षा (जिस विषय के प्रश्न पत्र में आवेदन किया हो) में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त हुए हो। दो प्रश्न–पत्रों के लिए अलग–अलग दो आवेदन–पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र में दो प्रश्न–पत्रों के लिए निवेदन आवेदन किया जा सकता है।
9. जो परीक्षार्थी स्नातक स्तर के परीक्षाओं में सभी विषयों में सम्मिलित हुए हैं वे दो से अधिक प्रश्न पत्रों के पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं भर सकेंगे तथा ऐसे परीक्षार्थियों को शेष विषयों के प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अथवा उस कक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त हुए रहना अनिवार्य है।
10. पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार नहीं किया जावेगा –
    - क. पूरक/ए.टी.के.टी. की हैसियत से सम्मिलित द्वितीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किय जायेंगे।
    - ख. जो छात्र तीन विषयों में अनुत्तीर्ण हैं और पुर्नमूल्यांकन हेतु फार्म जमा करते हैं तो फार्म निरस्त माना जावेगा।
    - ग. जिन छात्रों को दो विषयों में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसे छात्र को दोनों विषयों के एक–एक प्रश्न–पत्र में पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करना होगा। यदि एक ही प्रश्न–पत्र में फार्म भरते हैं तो फार्म निरस्त माना जावेगा।
    - घ. स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र को पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन की पात्रता नहीं है।
11. परीक्षार्थियों को पुर्नमूल्यांकन परिणाम की सूचना/जानकारी संबंधित महाविद्यालय के माध्यभ से स्वतः लेनी होगी।
12. परीक्षार्थियों की पुर्नमूल्यांकन परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबंधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) गोपनीय विभाग को लिखित अवगत करना आवश्यक है, ताकि इस संबंध में कार्यवाही किया जा सके।
13. पुर्नमूल्यांकन के पश्चात् यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में कम या अधिक प्राप्त अंकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जावेंगे।
14. पुर्नमूल्यांकन के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं, तो विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार है कि एक ही आवेदन पर विचार किया जावेगा।

कुलसचिव